24

3

COURT FEE — भारत INDIA — बीस रुपये TWENTY RUPEES — Rs.20

श्री .... को
द्वारा आज दि. 1-2-16 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

नि. – 441 – I – 16

मेसर्स दिव्या मार्बल द्वारा भागीदार
श्री राजकुमार दुबे पुत्र श्री केशव प्रसाद दुबे,
पता – प्लॉट क्र. 185, नालंदा कॉलेज के समीप,
महावीर नगर, कटनी, म.प्र. —— पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन, द्वारा जिलाध्यक्ष,
   जिला कटनी, जिलाध्यक्ष कार्यालय,
   कटनी, म.प्र.

2. मेसर्स एस. अंकुन मिनरल्स प्रा.लि.
   गोयनका भवन, स्टेशन रोड़, कटनी, म.प्र. —— उत्तरदातागण

राजस्व पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :–

(1) यह पुनरीक्षण याचिका, उत्तरदाता क्र. 1 द्वारा बिना धारा 129 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कोई प्रकरण दर्ज किए, बिना किसी प्रकरण क्रमांक का उल्लेख किए हुए, बिना किसी विधि प्रावधान का उल्लेख किए हुए तथा बिना पुनरीक्षणकर्ता व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का कोई भी अवसर प्रदान किए, पारित आदेश दिनांक 21.01.2016, जिसके माध्यम से उत्तरदाता क्र. 1 ने मात्र उत्तरदाता क्र. 2 को, पूर्व से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों में, लाभ प्रदान करने हेतु, बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्देश या आदेश के, अन्य के अतिरिक्त पुनरीक्षणकर्ता की भूमि, खसरा क्र. 431, 432 रकबा 1.47 हेक्टेयर व खसरा क्रमांक 434, 764 रकबा 5.88 हेक्टेयर, कुल 7.35 हेक्टेयर, स्थित ग्राम निमास, तहसील स्लीमनाबाद, जिला कटनी, म.प्र. का पूर्व में त्रुटिपूर्ण रूप से स्थापित चाँदों के आधार पर सीमांकन करने, गड्ढों का नाप करने व उत्खनन कर, निकाले गए खनिज का गड्ढामुख आधार पर, आकलन व जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवैध आदेश पारित किया है, से परिवेदित होकर प्रस्तुत किया जा रहा है।

... पारित करने के पूर्व

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांकनिग0 441-दो/16 जिला - कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-6-16	प्रकरण का अवलोकन कियायह निगरानी कलेक्टर, कटनी के आदेश दिनांक 21.1.16 के विरूद्ध पस्तुत की गई है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई दिनांक को 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक कोई लिखित तर्क पेश नहीं किए गए हैं । कलेक्टर के आलोच्य को देखने से सपष्ट होता है कि उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा गठित दल को स्वीकृत खदानों का सीमांकन संबंधित पट्टाधारियों तथा अनावेदक क्रमांक 2 की उपस्थिती में करने के निर्देश देते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों अभिलेख वापिस हों । सदस्य	